

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक - 3802/14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जून 30 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ(एन.एच0-24) मार्ग किमी0 163.00 से 164.00 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, रामपुर रोड, तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा संख्या-196/03 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद की पत्र संख्या-3265/14-1, दिनांक 19-06-2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हैं कि जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ(एन.एच0-24) मार्ग किमी0 163.00 से 164.00 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, रामपुर रोड, तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा संख्या-196/03 में सिटी एनर्जी लि0 मुरादाबाद द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0) के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1009 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद द्वारा विषयक कम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक - 3 प्रतियां।

भषदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुरादाबाद को सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या — नहीं।
इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है,
(हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और
किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न
करें।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी — हाँ।
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत
है।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित — प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, मुरादाबाद
वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए
सिफारिशें। प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 30/6/2017

स्थान : mbd.

(*आर. पी. वरुण*)
नाम व पदनाम वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।